

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर  
कमांक-29 / सीजेएम / 2026 सागर, दिनांक- 21 / 04 / 2026  
आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2026

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-12 व 13 के अंतर्गत दण्डिक कार्य विभाजन)

मैं, श्रीमती नेहा बंसल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत सागर जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उचित रूप से कार्य निष्पादन हेतु पूर्व में जारी समस्त आपराधिक कार्य-विभाजन आदेश को आतिष्ठित करते हुए निम्नांकित कार्य-विभाजन आदेश प्रसारित करती हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सागर के अनुमोदन उपरांत ही प्रभावशील होगा।

| कं. | मजिस्ट्रेट का नाम                                      | अधिकार क्षेत्र                                                                                                                                                                                             | कार्य-विभाजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | श्रीमती नेहा बंसल<br>मुख्य न्यायिक<br>मजिस्ट्रेट, सागर | आरक्षी केन्द्र<br>मोतीनगर,<br>मकरोनिया,<br>कैंट, आबकारी<br>वृत्त सागर के<br>जिला मुख्यालय<br>से उद्भूत<br>मामले, खनिज<br>व श्रम एवं वन<br>(तहसील सागर<br>से संबंधित वन<br>परिक्षेत्र) से<br>संबंधित मामले। | 1- पुलिस थाना मोतीनगर, मकरोनिया, कैंट, आबकारी वृत्त सागर के जिला मुख्यालय से उद्भूत सभी प्रकरण व श्रम व खनिज एवं वन से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी एवं उपार्पण योग्य समस्त पुलिस चालान, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों एवं विशेष अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर)<br>2- संबंधित थानों के सिनेमा अधिनियम, एवं कॉपीराइट एक्ट के प्रकरण।<br>3- संपूर्ण जिला सागर के सभी थाना से संबंधित खारिजी आवेदन।<br>4- नगर निगम सागर, नापतौल विभाग एवं अन्य समस्त शासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण।<br>5- औषधि और प्रसाधन सामग्री अधि., 1940 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।<br>6- सागर क्षेत्र के सभी आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले इस्तगासा/परिवाद पत्र प्रस्तुत किये जावेगे।<br>7- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सागर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण।<br>8- संपूर्ण सागर जिला में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहे प्रकरणों से संबंधित धारा 450 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।<br>9- साक्षियों के क्षमादान से संबंधित आवेदन पत्र एवं जिले के बाहर के न्यायालयों से प्राप्त कमीशन के निष्पादन की कार्यवाहियां।<br>10- खादय अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण। (सागर तहसील से संबंधित)<br>11- ऐसे प्रकरण जो अन्य मजिस्ट्रेट के |

|    |                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              |                                                                        | <p>न्यायालय से इस न्यायालय को आहरित किये जाये या वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा इस न्यायालय को अंतरित किये जाये।</p> <p>12- तहसील सागर के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों (भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम), जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), वायु (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, से उत्पन्न प्रकरण एवं समस्त वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. | श्री प्रीतम बंसल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर      | आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन, गोपालगंज, कोतवाली, यातायात, जी. आर.पी. सागर | <p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना- सिविल लाईन, गोपालगंज, कोतवाली, यातायात एवं जी.आर.पी. सागर से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आवेदन, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाने से उत्पन्न समस्त वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां।</p> <p>2- ग्राम न्यायालय से संबंधित उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण।</p> <p>3- संबंधित थानों से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले प्रकरण।</p> <p>4- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p> |
| 3. | श्री अमित सिंह धुर्वे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर | —                                                                      | <p>1- आरक्षी केन्द्र मकरोनिया से संबंधित, परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं.के आवेदन एवं आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन, गोपालगंज, कोतवाली एवं मकरोनिया के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के मामले एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं आरक्षी केन्द्र मकरोनिया से उत्पन्न समस्त वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां।</p> <p>2- आरक्षी केन्द्र मकरोनिया से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं आरक्षी केन्द्र सानीघा, नरयावली से संबंधित एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत मामलों में सैम्पलिंग कार्यवाही।</p> <p>3- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट</p>                                |

|    |                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                             |                                        | सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | श्रीमती सौम्या गौड़<br>पालीवाल,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, सागर | —                                      | 1— समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. | श्री रोहित शर्मा,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, सागर               | आरक्षी केन्द्र<br>बहेरिया,<br>जैसीनगर, | <p>1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना <b>बहेरिया, जैसीनगर</b> से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान। आरक्षी केन्द्र <b>बहेरिया, जैसीनगर, मोतीनगर</b> से संबंधित, परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं.के आवेदन एवं आरक्षी केन्द्र <b>बहेरिया, जैसीनगर, मोतीनगर</b> थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के मामले। आरक्षी केन्द्र <b>बहेरिया, जैसीनगर</b> थाना क्षेत्र से संबंधित खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं आरक्षी केन्द्र <b>बहेरिया, जैसीनगर, मोतीनगर</b> से उत्पन्न समस्त वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां।</p> <p>2— आरक्षी केन्द्र <b>बहेरिया, जैसीनगर, मोतीनगर</b> से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य <b>एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले।</b></p> <p>3— समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p> |
| 6. | सुश्री शिखा<br>चतुर्वेदी,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, सागर       | आरक्षी केन्द्र<br>महिला थाना,<br>सुरखी | 1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना <b>सुरखी एवं महिला थाना</b> से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण, सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान। आरक्षी केन्द्र <b>सुरखी, महिला थाना, कैंट</b> से संबंधित परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, आरक्षी केन्द्र <b>सुरखी, महिला थाना, कैंट</b> थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रकरण, आरक्षी केन्द्र <b>सुरखी, महिला थाना</b> क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खात्मा आवेदन एवं आरक्षी केन्द्र <b>सुरखी, महिला थाना एवं कैंट</b> से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां।                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                |                                                                         | <p>2- आरक्षी केन्द्र सुरखी, महिला थाना, कैंट एवं आरक्षी केन्द्र मकरोनिया, बहरिया से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, धारा 144 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत भरण पोषण, के प्रकरण एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।</p> <p>3- आरक्षी केन्द्र, सुरखी, महिला थाना, कैंट से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले।</p> <p>4- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. | सुश्री वीणा अग्निहोत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर | —                                                                       | <p>1- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. | श्री हिमांशु पालीवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर    | आरक्षी केन्द्र, राहतगढ़ एवं वन (तहसील राहतगढ़ से संबंधित वन परिक्षेत्र) | <p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर एवं तहसील राहतगढ़ के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो थाना जैसीनगर एवं नरयावली के अंतर्गत आते हैं, उन्हें छोड़कर पुलिस थाना राहतगढ़ से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के मामले, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाने से उत्पन्न समस्त वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां।</p> <p>2- संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले।</p> <p>3- आरक्षी केन्द्र, राहतगढ़ से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उपार्पण योग्य सहित) एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, धारा 144 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत भरण पोषण, के प्रकरण एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।</p> <p>4- तहसील राहतगढ़ के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र (भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम), जल (निवारण एवं</p> |

|     |                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                        | प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), वायु (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 09. | सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर | आरक्षी केन्द्र नरयावली | <p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना नरयावली से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण, सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, आरक्षी केन्द्र नरयावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रकरण। आरक्षी केन्द्र नरयावली के खात्मा आवेदन एवं आरक्षी केन्द्र नरयावली से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां।</p> <p>2- आरक्षी केन्द्र नरयावली, मोतीनगर, सिविल लाईन, गोपालगंज एवं जैसीनगर से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, धारा 144 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत भरण पोषण, के प्रकरण एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।</p> <p>3- आरक्षी केन्द्र नरयावली थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले।</p> <p>4- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p> |
| 10. | श्रीमती खुशबू दांगी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर         | —                      | <p>1- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p> <p>2- जिन मजिस्ट्रेटगण का स्थानान्तरण हो चुका है और उनके स्थान पर किसी न्यायाधीश की पदस्थापना नहीं हुई है तथा वह न्यायालय रिक्त है तो उनसे संबंधित समस्त वारंट एवं स्थायी वारंट व रिक्त न्यायालय के मजिस्ट्रेट द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरण एवं उससे संबंधित विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां से संबंधित अन्य विविध कार्यवाहियां तथा पूर्व पीठासीन अधिकारियों द्वारा पारित निर्णय जिनके न्यायालय मुख्यालय पर वर्तमान में रिक्त/लंबे अवकाश पर होने से रिक्त है, की अपील/निगरानी माननीय</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                               |                                                                                      | <p>अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश का परिपालन।</p> <p>3- आरक्षी केन्द्र मोतीनगर, मकरोनिया, कैंट, गोपालगंज, कोतवाली, जी.आर.पी., जैसीनगर, सिविल लाईन, बहेरिया, सुरखी, महिला थाना एवं राहतगढ़ से संबंधित एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत मामलों में सैम्पलिंग कार्यवाही।</p> <p>नोट:- उक्त कार्यविभाजन आदेश पीठासीन अधिकारी के संतान पालन अवकाश से वापिस आने के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावशील होगा।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11. | श्रीमती हितेशी भदौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर | आरक्षी केन्द्र सानौधा                                                                | <p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना सानौधा से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण, सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, आरक्षी केन्द्र सानौधा एवं जी.आर.पी. सागर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रकरण, आरक्षी केन्द्र सानौधा से संबंधित खात्मा आवेदन एवं आरक्षी केन्द्र सानौधा से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां।</p> <p>2- आरक्षी केन्द्र सानौधा, कोतवाली एवं जी.आर.पी. से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, धारा 144 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत भरण पोषण, के प्रकरण एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।</p> <p>3- आरक्षी केन्द्र सानौधा से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले।</p> <p>4- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p> |
| 12. | प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, सागर                     | सिविल जिला सागर के समस्त थानों से उद्भूत विधि विरुद्ध किशोर से संबंधित समस्त प्रकरण। | <p>1- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 4) के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में सिविल जिला सागर के समस्त थानों से उद्भूत विधि के विरुद्ध किशोर से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>2- ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                    |                               | मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे जाएँ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13. | श्रीमती चेतना दीक्षित,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, खुरई | आरक्षी केन्द्र,<br>खुरई (शहर) | <p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवाई योग्य मामलों को छोड़कर, ग्राम न्यायालय खुरई द्वारा सुनवाई योग्य मामले एवं पुलिस थाना खुरई (शहर) से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के मामले, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण।</p> <p>2- आरक्षी केन्द्र, खुरई (शहर) एवं बांदरी (आरक्षी केन्द्र बांदरी के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील खुरई के अंतर्गत आते हैं, से उत्पन्न होने वाले प्रकरण।) से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत भरण पोषण, के प्रकरण एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाहियां सहित।</p> <p>3- संबंधित थाना से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवाई योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले।</p> <p>4- नगर पालिका खुरई सीमा को छोड़कर तहसील खुरई के समस्त थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय की अधिकारिता वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक प्रकरण, जिनका उल्लेख ग्राम न्यायालय अधिनियम की अनुसूची में किया गया है।</p> <p>5- खुरई तहसील के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों (भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम), जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), वायु (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं खनिज विभाग से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6- आबकारी वृत्त खुरई से उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>7- उपजेल-खुरई में निरुद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 196 बी.एन.एस.एस.।</p> <p>8- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला</p> |

|     |                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                |                                                                                                                                               | न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | सुश्री प्रथा श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खुरई | आरक्षी केन्द्र<br>आरक्षी केन्द्र<br>खिमलासा                                                                                                   | <p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामले तथा ग्राम न्यायालय की सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर पुलिस थाना खिमलासा से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी /उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट, खात्मा आवेदन, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के मामले एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण।</p> <p>2- संबंधित थाना से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन. डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं आरक्षी केन्द्र खुरई (शहर एवं ग्रामीण) से संबंधित एन.डी.पी.एस. के मामलों में सैंपलिंग कार्यवाही।</p> <p>3- आरक्षी खिमलासा से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उपार्पण योग्य सहित) एवं परिवाद (धारेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005), धारा 144 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत भरण पोषण के प्रकरण एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाहियां।</p> <p>4- आबकारी वृत्त खिमलासा से उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>5- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p> |
| 15. | श्री प्रतीक सिंह तोमर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खुरई   | आरक्षी केन्द्र, बांदरी (आरक्षी केन्द्र बांदरी के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील खुरई के अंतर्गत आते हैं, से उत्पन्न होने वाले प्रकरण।) | <p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवाई योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस आरक्षी केन्द्र बांदरी (आरक्षी केन्द्र बांदरी के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील खुरई के अंतर्गत आते हैं, से उत्पन्न होने वाले प्रकरण।) से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन. आई.एक्ट के प्रकरण, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के मामले, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                               |                                | <p>सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण।</p> <p>2- संबंधित थाना से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं आरक्षी केन्द्र खिमलासा से संबंधित एन.डी. पी.एस. के मामलों में समस्त सैंपलिंग कार्यवाही।</p> <p>3- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16. | श्रीमती प्राची समाधिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खुरई | आरक्षी केन्द्र, खुरई (ग्रामीण) | <p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवाई योग्य मामलों तथा ग्राम न्यायालय खुरई के सुनवाई योग्य मामलों को छोड़कर आरक्षी केन्द्र खुरई (ग्रामीण) से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट प्रकरण, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण।</p> <p>2- आरक्षी केन्द्र, खुरई (ग्रामीण) से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत भरण पोषण, के प्रकरण एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।</p> <p>3- संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं आरक्षी केन्द्र बांदरी (आरक्षी केन्द्र बांदरी के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील खुरई के अंतर्गत आते हैं) से संबंधित एन.डी.पी.एस. के मामलों में समस्त सैंपलिंग कार्यवाही।</p> <p>4- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p> <p>नोट:- उक्त कार्यविभाजन आदेश पीठासीन अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावशील होगा।</p> |
| 17. | श्री राजेन्द्र कुमार                                          | आरक्षी केन्द्र,                | 1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | अहिरवार,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी,<br>मालथौन             | मालथौन                                                                                                                                              | <p>सुनवायी योग्य मामले को छोड़कर पुलिस थाना मालथौन से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट, खात्मा आवेदन, धारा 25 संदाय ओर निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के मामले एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण।</p> <p>2- संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले।</p> <p>3- मालथौन तहसील के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों (भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम), जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), वायु (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एवं खनिज विभाग से संबंधित प्रकरण।</p> <p>4- आबकारी वृत्त मालथौन से उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>5- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p> |
| 18. | सुश्री गौरी सक्सेना,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी,<br>मालथौन | आरक्षी केन्द्र<br>बांदरी (आरक्षी<br>केन्द्र बांदरी के<br>अंतर्गत आने<br>वाले वे ग्राम<br>जो कि तहसील<br>मालथौन एवं<br>बांदरी के<br>अंतर्गत आते हैं) | <p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामले को छोड़कर पुलिस थाना बांदरी (आरक्षी केन्द्र बांदरी के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील मालथौन एवं बांदरी के अंतर्गत आते हैं, से उत्पन्न होने वाले प्रकरण।) से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी /उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट, खात्मा आवेदन, धारा 25 संदाय ओर निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के मामले एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण।</p> <p>2- संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले।</p> <p>3- आरक्षी मालथौन एवं बांदरी (आरक्षी केन्द्र बांदरी के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि</p>                                                                                                                                                                              |

|     |                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                             |                          | <p>तहसील मालथौन एवं बांदरी के अंतर्गत आते हैं) से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उपार्षण योग्य सहित) एवं परिवाद (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005), धारा 144 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत भरण पोषण के प्रकरण एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाहियां।</p> <p>4- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19. | श्री ध्रुव अग्रवाल,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी,<br>मालथौन        | —                        | <p>1- आरक्षी मालथौन एवं बांदरी (आरक्षी केन्द्र बांदरी के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील मालथौन एवं बांदरी के अंतर्गत आते हैं) से संबंधित एन.डी.पी.एस. के मामलों में समस्त सैम्पलिंग कार्यवाही।</p> <p>2- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20. | श्रीमती मीनाक्षी<br>शर्मा जोशी,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, बीना | आरक्षी केन्द्र<br>भानगढ़ | <p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना भानगढ़ से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्षण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, परिवाद, धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट प्रकरण, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण।</p> <p>2- संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं आरक्षी केन्द्र जी.आर.पी.बीना एवं आगासौद से संबंधित एन.डी.पी.एस. के मामलों में समस्त सैपलिंग कार्यवाही।</p> <p>3- आरक्षी केन्द्र, बीना, जी.आर.पी. बीना, भानगढ़ एवं आगासौद से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, धारा 144 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत भरण पोषण, के प्रकरण एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।</p> <p>4- आबकारी वृत्त बीना से उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>5- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला</p> |

|     |                                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                       |                                      | <p>न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p> <p><b>6-</b> तहसील बीना के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों (भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम), जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), वायु (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एवं खनिज विभाग से संबंधित प्रकरण।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21. | श्री शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना  | आरक्षी केन्द्र बीना, जी. आर.पी. बीना | <p><b>1-</b> मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना बीना एवं जी.आर.पी. बीना से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी /उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट प्रकरण, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण।</p> <p><b>2-</b> संबंधित थानों से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन. डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं आरक्षी केन्द्र भानगढ़ से संबंधित एन.डी.पी.एस. से संबंधित समस्त सैपलिंग कार्यवाही।</p> <p><b>3-</b> समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p> |
| 22. | श्री मृदुल जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना | आरक्षी केन्द्र आगासौद                | <p><b>1-</b> मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना आगासौद से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी /उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन. आई.एक्ट प्रकरण, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण।</p> <p><b>2-</b> संबंधित थानों से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन. डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं आरक्षी केन्द्र बीना से संबंधित एन.डी.पी.एस. के मामलों में समस्त सैपलिंग कार्यवाही।</p>                                                                                                                                                              |

|     |                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        |                                      | 3- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23. | श्रीमती सलोनी जैन,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, बीना         | —                                    | 1- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24. | श्री आशीष कुमार माथौरिया,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, बण्डा | आरक्षी केन्द्र<br>बण्डा एवं<br>बहरोल | <p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना <b>बण्डा एवं बहरोल</b> से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण, सुनवायी /उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु. सं. के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां।</p> <p>2- संबंधित थानों से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन. डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं आरक्षी केन्द्र विनायका, शाहगढ़ एवं बरायठा से संबंधित एन.डी.पी.एस. के मामलों में समस्त सैपलिंग कार्यवाही।</p> <p>3- आबकारी वृत्त बंडा से उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>4- तहसील बंडा के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र (भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम), जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), वायु (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एवं खनिज से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण।</p> <p>5- उपजेल बंडा में निरुद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023।</p> <p>6- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p> |
| 25. | श्रीमती कंचन देव शिवहरे,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, बण्डा  | आरक्षी केन्द्र<br>विनायका            | 1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना <b>विनायका</b> से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/ उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                             |                         | <p>138 एन.आई.एक्ट, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के मामले, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां।</p> <p>2- संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं आरक्षी केन्द्र बंडा, बहरोल एवं छानबीला से संबंधित एन.डी. पी.एस. के मामलों में समस्त सैपलिंग कार्यवाही।</p> <p>3- आरक्षी केन्द्र, विनायका, बंडा एवं बहरोल से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवार (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005, धारा 144 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत भरण पोषण, के प्रकरण एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।</p> <p>4- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p> <p>नोट- उक्त कार्यविभाजन आदेश पीठासीन अधिकारी के प्रसूति अवकाश से वापिस आने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावशील होगा।</p> |
| 26. | सुश्री संध्या मुदगल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा | आरक्षी केन्द्र-विनायका, | <p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना विनायका से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/ उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवार, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के मामले, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां।</p> <p>2- संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं आरक्षी केन्द्र बंडा, बहरोल एवं छानबीला से संबंधित एन.डी. पी.एस. के मामलों में समस्त सैपलिंग कार्यवाही।</p> <p>3- आरक्षी केन्द्र, विनायका, बंडा एवं बहरोल से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवार</p>                                                                                                                                                                                  |

|     |                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                              |                                           | <p>(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, धारा 144 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत भरण पोषण, के प्रकरण एवं उनसे उदभूत अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।</p> <p>4- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p> <p><b>नोट- कार्यविभाजन आदेश की कंडिका-25 के अध्यक्षीन रहते हुए प्रभावशील।</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27. | श्री मानवेन्द्र सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शाहगढ़ | आरक्षी केन्द्र शाहगढ़, बरायठा एवं छानबीला | <p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस <b>थाना शाहगढ़, बरायठा एवं छानबीला</b> से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण, सुनवायी /उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद,धारा 175(3)भा.ना.सु.सं. के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के मामले, खात्मा आवेदन एवं उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां।</p> <p>2- आरक्षी केन्द्र, शाहगढ़, बरायठा एवं छानबीला से उदभूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, धारा 144 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत भरण पोषण, के प्रकरण एवं उनसे उदभूत अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।</p> <p>3- संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले।</p> <p>4- तहसील शाहगढ़ के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र (भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम), जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), वायु (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एवं खनिज से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण।</p> <p>5- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p> |
| 28. | सुश्री निकिता चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी  | आरक्षी केन्द्र देवरी                      | <p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस <b>थाना देवरी</b> से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी /उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद,धारा</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                         |                                                                                                                                                | <p>175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रकरण खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण।</p> <p>2- संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं आरक्षी केन्द्र गौरझामर एवं महाराजपुर से संबंधित एन.डी.पी.एस. से संबंधित समस्त सैपलिंग कार्यवाही।</p> <p>3- आरक्षी केन्द्र, देवरी, गौरझामर, महाराजपुर से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005, धारा 144 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत भरण पोषण, के प्रकरण एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।</p> <p>4- आबकारी वृत्त तहसील देवरी से उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>5- तहसील देवरी के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र (भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम), जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), वायु (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एवं खनिज से उत्पन्न सभी आपराधिक मामले।</p> <p>6- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p> |
| 29. | श्री दीपू शाक्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी | आरक्षी केन्द्र महाराजपुर एवं गौरझामर (गौरझामर के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील देवरी के अंतर्गत आते हैं, से उत्पन्न होने वाले प्रकरण।) | <p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना महाराजपुर एवं गौरझामर (गौरझामर के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील देवरी के अंतर्गत आते हैं, से उत्पन्न होने वाले प्रकरण) से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                               |                                         | <p>2- संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं आरक्षी केन्द्र देवरी एवं केसली से संबंधित एन.डी.पी.एस. के मामलों में समस्त सैपलिंग कार्यवाही।</p> <p>3- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30. | श्री नितिन वर्मा,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, रहली | आरक्षी केन्द्र<br>रहली एवं<br>चौकी बलेह | <p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना रहली एवं चौकी बलेह से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी /उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175 (3) भा.ना. सु.सं. के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट प्रकरण, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां।</p> <p>2- संबंधित थानों से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं आरक्षी केन्द्र गढ़ाकोटा से संबंधित एन.डी.पी.एस. के मामलों में समस्त सैपलिंग कार्यवाही।</p> <p>3- आबकारी वृत्त रहली से उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>4- तहसील रहली के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र (भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम), जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), वायु (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं खनिज विभाग से संबंधित प्रकरण।</p> <p>5- उपजेल-रहली में निरुद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 196 बी.एन.एस.एस.</p> <p>6- समय-समय पर माननीय जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p> |
| 31  | श्री शुभम गुप्ता,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, रहली | —                                       | <p>1- आरक्षी केन्द्र, रहली एवं चौकी बलेह से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, धारा 144 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत भरण पोषण, के प्रकरण एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                              |                                                                                                                                                      | 2- आरक्षी केन्द्र रहली एवं चौकी बलेह से संबंधित एन.डी.पी.एस. के मामलों में समस्त सैम्पलिंग कार्यवाही।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32. | श्री अम्बर<br>श्रीवास्तव,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी,<br>गढ़ाकोटा | आरक्षी केन्द्र,<br>गढ़ाकोटा                                                                                                                          | <p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना गढ़ाकोटा से उत्पन्न उपापर्ण योग्य समस्त मामले, पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175 (3) दंप्रसं. के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट प्रकरण, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां।</p> <p>2- संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले।</p> <p>3- तहसील गढ़ाकोटा के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र (भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम), जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), वायु (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एवं खनिज से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण।</p> <p>4- आबकारी वृत्त गढ़ाकोटा से उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>5- थाना गढ़ाकोटा के अंतर्गत आने वाले महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उपापर्ण योग्य सहित) एवं परिवाद (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, धारा 144 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत भरण पोषण, के प्रकरण एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।</p> <p>6- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p> |
| 33. | श्री कुलदीप<br>नामदेव,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, केसली          | आरक्षी केन्द्र<br>केसली,<br>गौरझामर<br>(गौरझामर के<br>अंतर्गत आने<br>वाले वे ग्राम<br>जो कि तहसील<br>केसली के<br>अंतर्गत आते हैं,<br>से उत्पन्न होने | <p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना केसली, गौरझामर (गौरझामर के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील केसली के अंतर्गत आते हैं, से उत्पन्न होने वाले प्रकरण) से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपापर्ण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण, धारा 25 संदाय</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>वाले प्रकरण।)</b> और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के मामले, खात्मा आवेदन एवं उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां।</p> <p><b>2- आरक्षी केन्द्र केसली एवं गौरझामर</b> (तहसील केसली के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण) से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, धारा 144 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत भरण पोषण, के प्रकरण एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।</p> <p><b>3- संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले।</b></p> <p><b>4- तहसील केसली के अन्तर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र (भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम), जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), वायु (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एवं खनिज से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण।</b></p> <p><b>5- आबकारी वृत्त तहसील केसली से उत्पन्न प्रकरण।</b></p> <p><b>6- समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</b></p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Nehe*  
21/04/26  
(श्रीमती नेहा बंसल)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर  
जिला-सागर 48000

### सामान्य आदेश

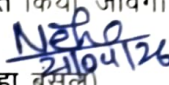
1. इस कार्य विभाजन से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
2. इस आदेश के निर्वहन में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** को संदर्भित किया जावे।
3. वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी अनुपस्थिति में **अनुलग्नक-एक** के अनुसार आवश्यक आपराधिक कार्य संपादित किया जावेगा, आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य - रिमाण्ड, जमानत, उपस्थिति माफी आवेदन, वाहन सुपुर्दनामा आवेदन पत्रों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों से सशक्त होने पर समरी प्रक्रिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान, जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक करना चाहता है। ऐसे उपस्थित साक्षियों का परीक्षण करना जो वृद्धावस्था तथा किसी बीमारी अथवा दूरस्थ स्थान से सम्मन या वारण्ट पर उपस्थित हुआ हो एवं उनका पुनः उपस्थित होना अत्यंत व्यय साध्य एवं असुविधाजनक हो और जहां से उसे आहूत करना असुविधाजनक व असंभव होगा, ऐसे प्रकरण में संबंधित मजिस्ट्रेट आवश्यक साक्ष्य लेने के उपरांत उस प्रकरण को मूल न्यायालय के समक्ष वापस करेंगे अथवा लंबे अवकाश पर जाने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय का उपरोक्त प्रकरण संबंधित मजिस्ट्रेट अपने न्यायालय में पंजीयन कराकर स्थानांतरित करवाएगा **न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर अथवा अनुपस्थिति में अनुलग्नक-एक के अनुसार आवश्यक आपराधिक कार्य सम्पादित किये जाने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोग पत्र भी लिये जावेंगे और आवश्यक कार्यवाही संपादित की जाएगी तथा उक्त अभियोग पत्र मूल क्षेत्राधिकार रखने वाले संबंधित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ही पंजीबद्ध किए जाएंगे।**
5. आवश्यक कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट यदि संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त हो तो अन्य न्यायालय के ऐसे मामलों का निराकरण कर सकेंगे, जो समरी प्रक्रिया के तहत विचारणीय हो एवं अभियुक्त अन्य जिले का निवासी हो तथा वारण्ट या गिरफ्तार करके लाया गया हो एवं दोषी होने का अभिवाक करने का आवेदन करे, तब ऐसे प्रकरण के अभिलेख निराकरण पश्चात मूल न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वापस होगा।
6. सागर नगर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत चलित न्यायालय सुपुर्दगी की व्यवस्था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार की जावेगी।
7. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकारिता में चलित न्यायालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति एवं पूर्व सूचना उपरांत आयोजित करेंगे।
8. जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।
9. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन किया जावेगा।
10. संबंधित मजिस्ट्रेट अपने-अपने आरक्षी केन्द्र क्षेत्र की ओर से प्रस्तुत होने वाले

अंतिम प्रतिवेदन स्वीकृत किये जाने के लिए प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करेंगे।

11. सागर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से संबंधित अपराधों के बारे में **धारा 183 भा.ना. सु.सं.** के अधीन अपराधी की संस्वीकृति या साक्षियों के कथन **अनुलग्नक-दो** में वर्णित मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जावेंगे।
12. जो न्यायालय वर्तमान में कार्यरत है, उनके द्वारा जारी वारंट अथवा स्थाई वारंट के संबंध में उसी न्यायालय के द्वारा संपूर्ण कार्यवाही संपादित की जावेगी अर्थात् यदि प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में लंबित हो तो उस न्यायालय द्वारा ही किया जावेगा।
13. मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, परमिट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति सत्यापित कर सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जावे।
14. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपापण कार्यवाही के दौरान उपापण आदेश पारित किये जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी भी रिकार्ड के साथ भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे तथा मुद्देमाल भी संबंधित न्यायालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे।
15. विचाराधीन बण्डल फाईल **(रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र)** संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जेएमएफसी के न्यायालय में भेजे जावे।
16. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के मेमोरेण्डम क्रमांक 1295/सीजे-II/890 जबलपुर दिनांक 18.11.2013 के पालन में चालान प्रस्तुत किये जाते समय मुद्देमाल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
17. धारा 364 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजे जाने के साथ ही जप्तशुदा सम्पत्ति भी भेजी जावे।
18. सागर मुख्यालय पर अनुलग्नक क्र.01 के अनुसार मजिस्ट्रेट के न होने पर प्रभार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कार्य संपादित करेंगे।
19. केन्द्रीय जेल सागर में निरुद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच अंतर्गत धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत माह अप्रैल, मई, जून-2026 में श्री रोहित शर्मा, माह जुलाई, अगस्त, सितंबर-2026 में श्रीमती खुशबू दांगी एवं माह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर-2026 में श्रीमती आकांक्षा श्रीवास्तव द्वारा की जावेगी तथा उनकी अनुपस्थिति में उनका कार्यभार देख रहे मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी। यदि अवकाश के दिवसों में संबंधित मजिस्ट्रेट मुख्यालय से अनुमति सहित बाहर रहने की स्थिति में अवकाश के दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी पर नियत मजिस्ट्रेट के द्वारा की जावेगी। तहसील मुख्यालय पर स्थित उपजेल में निरुद्ध बंदी की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु जांच की धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कार्यवाही उस तहसील मुख्यालय के वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी तथा उनकी अनुपस्थिति में उनका कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।
20. रिमाण्ड ड्यूटी के दिवस प्रोटोकॉल आने पर रिमाण्ड मजिस्ट्रेट ही प्रोटोकॉल ड्यूटी करेगा।
21. किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट के अवकाश पर जाने पर उक्त बोर्ड का

आवश्यक कार्य, (कार्य दिवसों में) बोर्ड के सदस्यगण के द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

**नोट-1-** उपरोक्त आदेश ग्राम न्यायालय के संबंध में भी लागू होगा, साथ ही किशोर न्याय बोर्ड, सागर में कोई सदस्य उपलब्ध न होने पर किशोर न्याय बोर्ड, सागर के प्रधान मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमाण्ड कार्य सम्पादित किया जावेगा, इनके अवकाश/मुख्यालय से बाहर/पद रिक्त अथवा स्थानांतरण होने की दशा में श्रीमती सौम्या गौड़ पालीवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर तथा उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती खुशबू दांगी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर तथा उनकी अनुपस्थिति में अनुलग्नक-एक के अनुसार प्रभार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड संबंधी कार्य निष्पादित किया जावेगा।

  
 (श्रीमती नेहा बैसल)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर  
 जिला-सागर म0प्र0

### अनुलग्नक-एक

1. नीचे दी गयी सूची के कालम क्रमांक-1 में नामित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में उसके न्यायालय के आवश्यक कार्य क्रमशः कालम क्रमांक-2, 3, 4 में नामित मजिस्ट्रेट करेंगे।
2. कॉलम क्रमांक-1, 2, 3, 4 में नामित चारों मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कॉलम क्रमांक-4 में नामित मजिस्ट्रेट के न्यायालय के आवश्यक प्रभार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा क्रमानुसार किया जावेगा एवं तहसील मुख्यालय पर मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति की दशा में निकटतम तहसील/मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट अथवा उपलब्ध मजिस्ट्रेट के द्वारा आवश्यक कार्य किया जावेगा।

| क्र | कॉलम क्रमांक-1                         | कॉलम क्रमांक-2             | कॉलम क्रमांक-3              | कॉलम क्रमांक-4             |
|-----|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | श्रीमती नेहा बंसल                      | श्री प्रीतम बंसल           | श्रीमती सौम्या गौड़ पालीवाल | सुश्री शिखा चतुर्वेदी      |
| 2   | श्री प्रीतम बंसल                       | श्री रोहित शर्मा,          | श्री हिमांशु पालीवाल        | सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव |
| 3   | श्री अमित सिंह धुर्वे                  | श्रीमती खुशबू दांगी        | सुश्री रोहित शर्मा          | सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव |
| 4   | श्रीमती सौम्या गौड़ पालीवाल            | श्री अमित सिंह धुर्वे      | सुश्री शिखा चतुर्वेदी       | श्री रोहित शर्मा,          |
| 5   | श्री रोहित शर्मा                       | श्री हिमांशु पालीवाल       | श्रीमती हितेषी भदौरिया      | सुश्री शिखा चतुर्वेदी      |
| 6   | सुश्री शिखा चतुर्वेदी                  | सुश्री सौम्या गौड़ पालीवाल | श्रीमती खुशबू दांगी         | सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव |
| 7   | सुश्री वीणा अग्निहोत्री                | श्रीमती खुशबू दांगी        | श्री रोहित शर्मा            | श्री हिमांशु पालीवाल       |
| 8   | श्री हिमांशु पालीवाल                   | श्री रोहित शर्मा           | श्रीमती हितेषी भदौरिया      | सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव |
| 9   | सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव             | श्रीमती हितेषी भदौरिया     | सुश्री शिखा चतुर्वेदी       | श्री रोहित शर्मा           |
| 10  | श्रीमती खुशबू दांगी                    | सुश्री शिखा चतुर्वेदी      | सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव  | श्रीमती हितेषी भदौरिया     |
| 11  | श्रीमती हितेषी भदौरिया                 | सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव | श्री अमित धुर्वे            | श्री शिखा चतुर्वेदी        |
| 11  | (प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड ) | सदस्य किशोर न्याय बोर्ड    | सदस्य किशोर न्याय बोर्ड     | सदस्य किशोर न्याय बोर्ड    |
| 14  | श्रीमती चेतना दीक्षित                  | सुश्री प्रथा श्रीवास्तव    | श्री प्रतीक सिंह तोमर       | श्रीमती प्राची समाधिया     |
| 15  | सुश्री प्रथा श्रीवास्तव                | श्रीमती चेतना दीक्षित      | श्रीमती प्राची समाधिया      | श्री प्रतीक सिंह तोमर      |
| 16  | श्री प्रतीक सिंह तोमर                  | श्रीमती प्राची समाधिया     | श्रीमती चेतना दीक्षित       | सुश्री प्रथा श्रीवास्तव    |

|    |                                     |                                     |                                      |                              |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 17 | श्रीमती प्राची समाधिया              | श्री प्रतीक सिंह तोमर               | सुश्री प्रथा श्रीवास्तव              | श्रीमती चेतना दीक्षित        |
| 18 | श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जोशी         | श्री शरद जोशी                       | श्री मृदुल जैन                       | श्रीमती सलोनी जैन            |
| 19 | श्री शरद जोशी                       | श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जोशी         | श्रीमती सलोनी जैन                    | श्री मृदुल जैन               |
| 20 | श्री मृदुल जैन                      | श्रीमती सलोनी जैन,                  | श्री शरद जोशी                        | श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जोशी  |
| 21 | श्रीमती सलोनी जैन                   | श्री मृदुल जैन                      | श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जोशी          | श्री शरद जोशी                |
| 22 | सुश्री निकिता चौहान                 | श्री दीपू शाक्य                     | श्री कुलदीप नामदेव केसली             | श्री नितिन वर्मा रहली        |
| 23 | श्री दीपू शाक्य                     | सुश्री निकिता चौहान                 | श्री कुलदीप नामदेव                   | श्री शुभम गुप्ता             |
| 24 | श्री नितिन वर्मा                    | श्री शुभम गुप्ता                    | श्री अम्बर श्रीवास्तव                | सुश्री निकिता चौहान          |
| 25 | श्री शुभम गुप्ता                    | श्री नितिन वर्मा                    | श्री अम्बर श्रीवास्तव                | श्री दीपू शाक्य देवरी        |
| 25 | श्री अम्बर श्रीवास्तव               | श्री नितिन वर्मा, रहली              | श्री शुभम गुप्ता                     | श्रीमती खुशबू दांगी          |
| 26 | श्री आशीष कुमार माथौरिया            | श्रीमती संध्या मुदगल                | श्रीमती कंचन देव शिवहरे              | श्री मानवेन्द्र सिंह शाहगढ़  |
| 27 | श्रीमती कंचन देव शिवहरे             | श्री आशीष कुमार माथौरिया            | श्रीमती संध्या मुदगल                 | श्री मानवेन्द्र सिंह शाहगढ़  |
| 28 | श्रीमती संध्या मुदगल                | श्रीमती कंचन देव शिवहरे             | श्री आशीष कुमार माथौरिया             | श्री मानवेन्द्र सिंह शाहगढ़  |
| 29 | श्री कुलदीप नामदेव                  | श्रीमती निकिता चौहान                | श्री दीपू शाक्य                      | श्री नितिन वर्मा, रहली       |
| 30 | श्री मानवेन्द्र सिंह                | श्रीमती संध्या मुदगल                | श्री आशीष माथौरिया                   | श्रीमती कंचन देव शिवहरे      |
| 31 | श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार मालथौन | सुश्री गौरी सक्सेना मालथौन          | श्री ध्रुव अग्रवाल मालथौन            | श्रीमती चेतना दीक्षित, खुरई  |
| 32 | सुश्री गौरी सक्सेना मालथौन          | श्री ध्रुव अग्रवाल मालथौन           | श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार, मालथौन | सुश्री प्रथा श्रीवास्तव खुरई |
| 33 | श्री ध्रुव अग्रवाल मालथौन           | श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार मालथौन | सुश्री गौरी सक्सेना मालथौन           | श्री प्रतीक सिंह तोमर खुरई   |

  
 (श्रीमती नेहा बंसल)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर  
 जिला-सागर म0प्र0

**कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर जिला सागर मध्यप्रदेश**  
**-: आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक-धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता :-**  
**( अनुलग्नक "दो" )**

**सारणी क्रमांक-1**

**महिला संबंधी अपराधों से संबंधित मामले**

| क्रमांक | न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम    | आरक्षी केन्द्र                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                            | 3                                                                                                                                                                                   |
| 1-      | श्रीमती सौम्या गौड़ पालीवाल, | —                                                                                                                                                                                   |
| 2-      | सुश्री शिखा चतुर्वेदी        | मोतीनगर, सिविल लाईन,                                                                                                                                                                |
| 3-      | सुश्री वीणा अग्निहोत्री      | —                                                                                                                                                                                   |
| 4-      | सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव   | मकरोनिया, सानौघा, जी.आर.पी.                                                                                                                                                         |
| 5-      | श्रीमती खुशबू दांगी          | नरयावली, जैसीनगर, बहेरिया, गोपालगंज, कोतवाली, कैंट,<br>(नोट- उक्त आदेश पीठासीन अधिकारी के संतान पालन अवकाश से वापिस आने के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावशील होगा।) |
| 6-      | श्रीमती हितेशी भदौरिया       | महिला थाना, सुरखी, राहतगढ़,                                                                                                                                                         |
| 7-      | श्रीमती चेतना दीक्षित खुरई   | खुरई (ग्रामीण)                                                                                                                                                                      |
| 8-      | श्रीमती प्राची समाधिया, खुरई | खिमलासा, बांदरी<br>(आरक्षी केन्द्र बांदरी के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील खुरई के अंतर्गत आते हैं, के मामलों में)                                                          |
| 9-      | सुश्री प्रथा श्रीवास्तव खुरई | खुरई (शहर)                                                                                                                                                                          |
| 10-     | श्रीमती कंचन देव शिवहरे      | शाहगढ़, बरायठा, छानबीला<br>(नोट- उक्त आदेश पीठासीन अधिकारी के प्रसूति अवकाश से वापिस आने के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावशील होगा।)                                |
| 11-     | श्री आशीष कुमार माथौरिया     | बंडा, विनायका, बहरोल                                                                                                                                                                |
| 12-     | सुश्री संध्या मुदगल, बण्डा   | शाहगढ़, बरायठा, छानबीला                                                                                                                                                             |
| 13-     | श्री नितिन वर्मा रहली        | रहली एवं चौकी बलेह                                                                                                                                                                  |
| 14-     | श्री शुभम गुप्ता रहली        | गढ़ाकोटा                                                                                                                                                                            |
| 15-     | सुश्री निकिता चौहान, देवरी   | आरक्षी केन्द्र केसली एवं गौरझामर                                                                                                                                                    |

|     |                                |                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                | (गौरझामर के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो तहसील केसली के अंतर्गत आते हैं) (समस्त महिला संबंधी अपराधों में।)                                             |
| 16— | श्री दीपू शाक्य देवरी          | आरक्षी केन्द्र देवरी, महाराजपुर एवं गौरझामर (गौरझामर के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो तहसील देवरी के अंतर्गत आते हैं) (समस्त महिला संबंधी अपराधों में।) |
| 17— | श्री शरद जोशी                  | आरक्षी केन्द्र बीना, जी.आर.पी. बीना (समस्त महिला संबंधी अपराधों में।)                                                                                  |
| 18— | श्री मृदुल जैन                 | आरक्षी केन्द्र भानगढ़, आगासौद (समस्त महिला संबंधी अपराधों में।)                                                                                        |
| 19— | श्रीमती सलौनी जैन              | —                                                                                                                                                      |
| 20— | श्री अम्बर श्रीवास्तव गढ़ाकोटा | —                                                                                                                                                      |
| 21— | श्री ध्रुव अग्रवाल, मालथौन     | मालथौन एवं आरक्षी केन्द्र बांदरी, (आरक्षी केन्द्र बांदरी के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील मालथौन एवं बांदरी के अंतर्गत आते हैं, के मामलों में) |

नोट :-1.

- जिला मुख्यालय, सागर पर महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने पर मुख्यालय में पदस्थ श्रीमती सौम्या गौड़ पालीवाल उनके अवकाश पर होने पर सुश्री शिखा चतुर्वेदी उनके अवकाश पर होने पर श्रीमती हितेशी भदौरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर द्वारा धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संबंध में समस्त कथन अंकित किये जावेंगे। जिला मुख्यालय से बाहर तहसील मुख्यालयों पर पदस्थ महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने पर नजदीकी मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट/महिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कथन लेखबद्ध किये जावेंगे और यदि वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं, तो अनुलग्नक-एक के अनुसार उनका प्रभार रखने वाले महिला मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित किये जायेंगे।
- उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों के अतिरिक्त यदि कोई भी धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन आते हैं तो जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों में पदस्थ वरिष्ठ महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित किये जावेंगे। महिला मजिस्ट्रेट न होने की दशा में उक्त स्थापना के वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित किये जावेंगे।
- महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रसूति अवकाश/संतान पालन अवकाश पर रहने की दशा में उनके प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट कथन लिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

*Neha*  
21/04/22

(श्रीमती नेहा बंसल)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर  
जिला-सागर म0प्र0

### सारणी क्रमांक-2

महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों को छोड़कर शेष मामलों के लिए आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत मामलों में निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके सामने दर्शित आरक्षी केन्द्रों के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के कथन अभिलिखित करेंगे :-

| क्रं. | न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम        | आरक्षी केन्द्र                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                | 3                                                                                                                                                 |
| 1-    | श्री रोहित शर्मा                 | मोतीनगर, मकरोनिया, कैंट, राहतगढ़, सुरखी                                                                                                           |
| 2-    | श्री अमित सिंह धुर्वे, सागर      | बहेरिया, जैसीनगर, सिविल लाईन, गोपालगंज,                                                                                                           |
| 3-    | श्री हिमांशु पालीवाल सागर        | कोतवाली, जी.आर.पी.सागर, नरयावली, सानौधा                                                                                                           |
| 4-    | श्रीमती चेतना दीक्षित, खुरई      | खिमलासा                                                                                                                                           |
| 5-    | श्रीमती प्राची समाधिया, खुरई     | बांदरी (आरक्षी केन्द्र बांदरी के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील खुरई के अंतर्गत आते हैं, के मामलों में)                                    |
| 6-    | सुश्री प्रथा श्रीवास्तव, खुरई    | खुरई (शहर व ग्रामीण)                                                                                                                              |
| 7-    | श्री शरद जोशी, बीना              | भानगढ़,                                                                                                                                           |
| 8-    | श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जोशी बीना | आगासौद,                                                                                                                                           |
| 9-    | श्री मृदुल जैन                   | बीना, जी.आर.पी.बीना                                                                                                                               |
| 10-   | श्रीमती सलोनी जैन                | —                                                                                                                                                 |
| 11-   | श्री आशीष माथौरिया, बण्डा        | छानबीला, विनायका, बरायठा                                                                                                                          |
| 12-   | श्रीमती कंचन देव शिवहरे          | शाहगढ़, बहरोल, बंडा<br>(नोट- उक्त आदेश पीठासीन अधिकारी के प्रसूति अवकाश से वापिस आने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावशील होगा।) |
| 13-   | सुश्री संध्या मुदगल, बण्डा       | शाहगढ़, बहरोल, बंडा                                                                                                                               |
| 14-   | श्री नितिन वर्मा, रहली           | गढ़ाकोटा                                                                                                                                          |
| 15-   | श्री शुभम गुप्ता रहली            | रहली एवं चौकी बलेह                                                                                                                                |
| 16-   | श्री दीपू शाक्य                  | देवरी, केसली एवं गौरझामर (गौरझामर के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील केसली के अंतर्गत आते हैं) से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण।             |

|     |                            |                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17- | श्री कुलदीप नामदेव, केसली  | आरक्षी केन्द्र महाराजपुर एवं गौरझामर<br>(गौरझामर के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील देवरी के अंतर्गत आते हैं)।                                      |
| 18  | श्री ध्रुव अग्रवाल, मालथौन | मालथौन एवं आरक्षी केन्द्र बांदरी,<br>(आरक्षी केन्द्र बांदरी के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील मालथौन एवं बांदरी के अंतर्गत आते हैं, के मामलों में) |

1- सारणी कमांक-2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर अनुलग्नक-एक में उल्लेखित उनके प्रभारानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट कथन ले सकेंगे धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का प्रकरण कथन हेतु प्रस्तुत हो तो उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट कथन लिया जाना सुनिश्चित करेंगे।

*Nehe*  
21/04/26

(श्रीमती नेहा बंसल)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर  
जिला-सागर म0प्र0

#### प्रतिलिपि:-

- कार्यालय:- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सागर की ओर अनुमोदनार्थ हेतु सादर प्रेषित।
- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सागर/खुरई/बीना/मालथौन/शाहगढ़/बंडा/देवरी/गढ़ाकोटा/रहली/राहतगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- पंजीयन कार्यालय, सागर को सूचनार्थ।
- सिस्टम ऑफीसर, सर्वर रूम सागर को समस्त मजिस्ट्रेट एवं अनुभागों को अति-आवश्यक रूप से ई-मेल से सूचित करने हेतु।

*Nehe*  
21/04/26

(श्रीमती नेहा बंसल)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर  
जिला-सागर म0प्र0

*अनुमोदित*  
*21/04/2026*  
*21/04/2026*  
*प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर*